Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग-4)

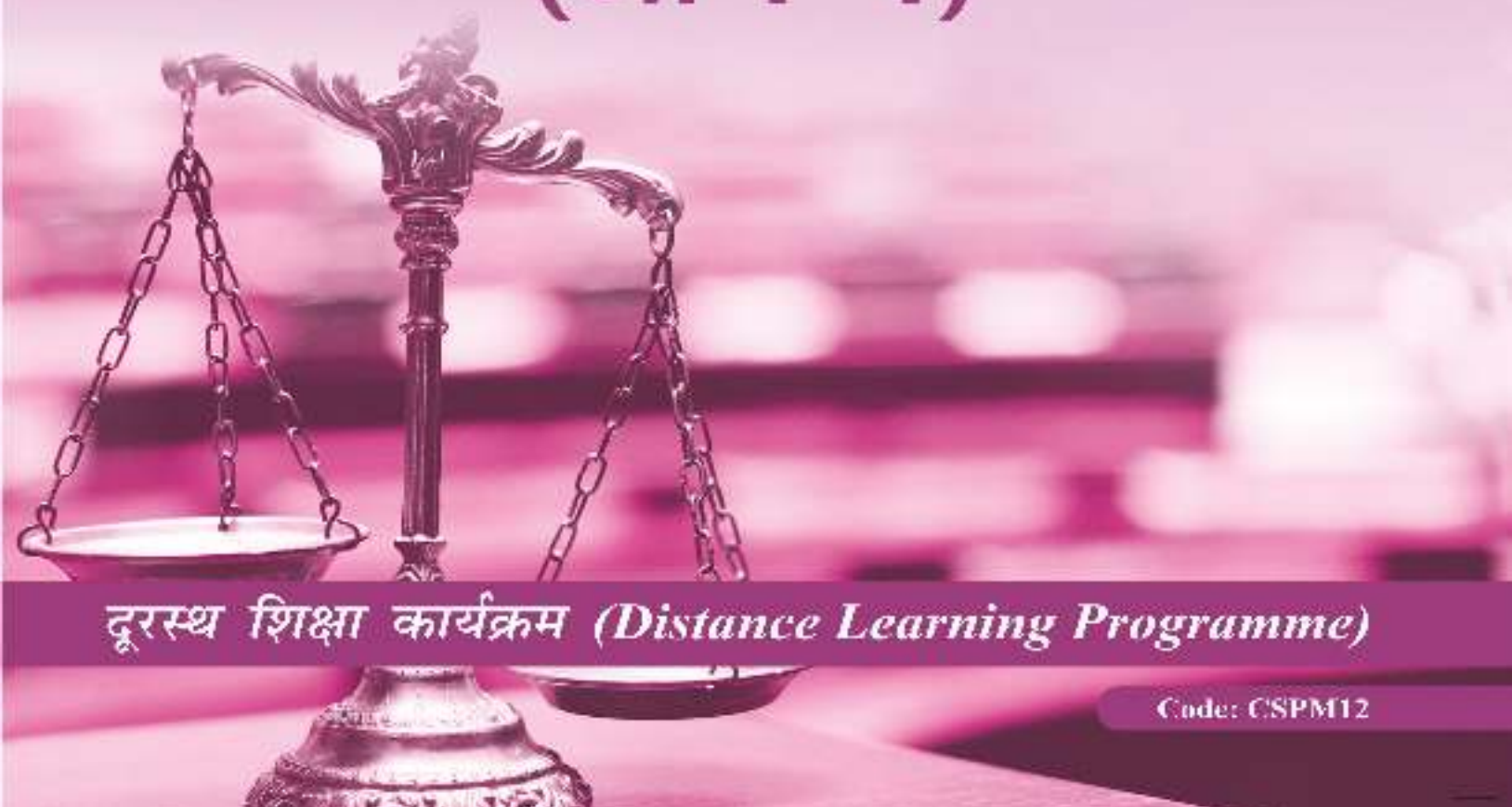

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSPM12

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग–4)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

20.	संविधान का संशोधन	5-25
21.	जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति	26-38
22.	कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध	39-44
23.	संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय	45-132

अध्याय
20

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

20.1 संविधान संशोधन के तरीके
20.2 तीन प्रकार की संशोधन प्रक्रिया
20.3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण
20.4 संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएँ
20.5 संविधान के आधारभूत ढाँचे में शामिल तत्त्व
20.6 भारतीय संविधान: कठोर या लचीला
20.7 अभी तक किये गए प्रमुख संविधान संशोधन
20.8 आधारभूत महत्त्व के संशोधन
20.9 अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन

कोई भी संविधान-निर्मात्री सभा यह दावा नहीं कर सकती कि उसके द्वारा संविधान में रखे गए प्रावधान सार्वकालिक प्रकृति के हैं और उनमें कभी भी किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये किसी भी देश के संविधान निर्माताओं को इस बात पर विचार करना होता है कि संविधान का संशोधन करने का अधिकार किसे तथा कितनी मात्रा में दिया जाए? जिन देशों की राजव्यवस्था एकात्मक (Unitary) ढाँचे पर आधारित होती है, उनके संविधान प्रायः लचीले या सुनम्य (Flexible) होते हैं अर्थात् सरल प्रक्रिया से उन्हें बदला जा सकता है। दूसरी ओर, जिन देशों की राजव्यवस्था संघात्मक (Federal) ढाँचे पर आधारित होती है, उनका संविधान प्रायः कठोर या अनम्य (Rigid) होता है, क्योंकि उनका संविधान एक प्रकार से विभिन्न प्रांतों तथा संघ के बीच किया गया समझौता या अनुबंध (Contract) होता है तथा दोनों पक्ष चाहते हैं कि किसी एक पक्ष की मनमानी इच्छाओं के मुताबिक इस समझौते को बदला न जा सके।

ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान इन दोनों विपरीत ध्रुवों के विख्यात उदाहरण हैं। ब्रिटेन का संविधान अत्यंत लचीला या सुनम्य (Flexible) है जबकि अमेरिकी संविधान सर्वाधिक कठोर या अनम्य (Rigid) संविधानों में गिना जाता है। ब्रिटेन में संसद द्वारा पारित हर विधान संविधान जैसा प्रभाव रखता है। अमेरिकी संविधान में पिछले वर्षों में केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। इनमें से भी पहले 10 संशोधन, संविधान लागू होने के चौथे वर्ष (1791) में हो गए थे।

भारतीय संविधान निर्माता इन दोनों अतिवादी स्थितियों से बचना चाहते थे। वे न तो इंग्लैंड की तरह भारत की संसद को ऐसी शक्ति देना चाहते थे कि वह निर्बाध तरीके से संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सके और न ही अमेरिकी व्यवस्था की तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना कठिन बनाना चाहते थे कि आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भी संविधान को न बदला जा सके।

इस विषय से जुड़ी चर्चा के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था– "सभा ने यह नहीं माना है कि संविधान अंतिम तथा निर्दोष है। सभा की यह धारणा नहीं है कि संविधान के संशोधन का अधिकार जनता को नहीं दिया जाए जैसा कि कनाडा ने किया है; या संशोधन के लिये अत्यंत कठिन शर्तें निर्धारित कर दी जाएँ जैसा कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सभा ने संविधान के संशोधन के लिये एक सरल प्रक्रिया अपनाई है। जो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना है और यदि वे दो-तिहाई बहुमत भी अपने पक्ष में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यही समझा जाएगा कि संविधान के प्रति उन्हें जो असंतोष है, उसमें जनता उनके साथ नहीं है।"

इन कथनों से स्पष्ट है कि संविधान निर्माता संविधान को न तो कठोर (Rigid) बनाना चाहते थे और न ही पूर्णतः लचीला (Flexible)। उनका यही विचार संविधान में शामिल किये गए संशोधन संबंधी उपबंधों में दिखाई पड़ता है।

20.1 संविधान संशोधन के तरीके *(Methods of Amending the Constitution)*

वस्तुतः किसी भी संविधान में दो तरीकों से संशोधन हो सकता है जो निम्न हैं–

- अनौपचारिक (Informal) तरीके से।
- औपचारिक (Formal) तरीके से।

- नीति-निदेशक तत्त्वों (भाग 4) के अंतर्गत अनुच्छेद 43(ख) अंत:स्थापित किया गया है जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (Voluntary formation), स्वायत्त प्रचालन (Autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (Democratic control) तथा पेशेवर प्रबंधन (Professional management) को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 19(1)(ग) में 'संघ' बनाने की स्वतंत्रता के साथ 'सहकारी समिति बनाने का अधिकार' शब्दों को शामिल किया गया है।

22. 98वाँ संविधान संशोधन: 118वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2012 1 जनवरी, 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् 98वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 बन गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद-271झ के बाद एक नया अनुच्छेद-371ञ जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिये सशक्त करता है।

23. 99वाँ संविधान संशोधन: केंद्र सरकार के सर्वोच्च न्यायालय एवं देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधिशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में बदलाव लाने के लिये 13 अप्रैल, 2014 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 और संविधान (99वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 अधिसूचित कर दिया।

24. 100वाँ संविधान संशोधन: अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 को यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।

25. 101वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016:

- वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 246, 246A, 248, 249, 250, 268, 268A, 269, 269A, 270, 271, 279, 279A, 286, 366, 368 में संशोधन किया गया।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी काउंसिल का भी गठन हो चुका है।
- छठी अनुसूची एवं सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान में साधारण बहुमत से किये जाने वाले संशोधन के संदर्भ में कौन-से कथन सत्य हैं?
   1. यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है।
   2. इस संशोधन के लिये संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है।
   3. संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय संशोधन की इसी श्रेणी में आते हैं।
   4. संघ राज्यक्षेत्रों के लिये मंत्रिपरिषद का सृजन उक्त संविधान संशोधन के अंतर्गत ही सम्मिलित है।

   कूट:

   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
   (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित उपबंधों में से ऐसे कौन-कौन से उपबंध हैं जिन्हें संशोधित करने के लिये संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है?
   1. सातवीं अनुसूची की किसी सूची से संबंधित विषय।
   2. संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति के वितरण से जुड़े उपबंध।
   3. संसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करना।
   4. संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से जुड़े उपबंध।
   5. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदों से संबंधित वेतन और भत्ते संशोधित करना।

कूट:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

3. एक संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा पारित किया गया। यहाँ विशेष बहुमत से आशय है:

(a) सदन की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।

(b) सदन की कुल संख्या के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।

(c) दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

(d) सदन की कुल संख्या के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

4. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में सही तथ्य कौन-सा/से है/हैं?

1. संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति आवश्यक है।
2. यदि राष्ट्रपति चाहे तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
3. संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है।
4. चूँकि राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति से ही संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, अत: राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिये बाध्य है।

कूट:

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 3 (d) केवल 1 और 4

5. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:

सूची-I (तथ्य)	सूची-II (संबद्ध वाद)
A. यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा।	1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
B. अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन सके या न्यून कर सके।	2. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
C. संसद संविधान संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढाँचे (Basic Structure) का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सकती।	3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
D. 'संविधान संशोधन की सीमित शक्ति' संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है।	4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	3	1	2	4
(c)	2	1	4	3
(d)	1	2	3	4

6. निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि (24 अप्रैल, 1973) के बाद नवीं अनुसूची में डाले गए अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है?

(a) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

(b) वामन राव बनाम भारत संघ

(c) कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य

(d) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ

7. निम्नलिखित में से किन-किन तत्त्वों को संविधान के आधारभूत ढाँचे में शामिल किया गया है?

1. राजव्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढाँचा।
2. संसदीय प्रणाली की सरकार।

3. मूल अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्त्वों के मध्य संतुलन।
4. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली।

कूट:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2, 3 और 4

8. नीचे दिये गए कथनों में से कौन-से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत हैं?
   1. आधे से अधिक राज्यों को संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया है।
   2. भारत में कुछ मामलों में संविधान संशोधन के लिये जनमत-संग्रह (Referendum) की व्यवस्था की गई है।
   3. संविधान संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति आवश्यक है।

कूट:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

1. (b) 2. (b) 3. (d) 4. (c) 5. (c) 6. (b) 7. (d) 8. (d)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है?
   UPSC (Mains) 2019
2. संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइये। क्या आप समझते हैं कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिये साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में" काफी प्रभावकारी है?
   UPSC (Mains) 2017
3. संविधान में संशोधन कब किये जाते हैं? संशोधन प्रक्रिया को स्पष्ट करें।
4. संविधान संशोधन, संविधान के नवप्रवर्तन का साधन है जो राजव्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाता है। टिप्पणी कीजिये।

अध्याय
21

जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति (Special Status of Jammu–Kashmir)

21.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	21.3 जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान का प्रभाव
21.2 अनुच्छेद-370	21.4 अनुच्छेद 35(A)

संविधान के भाग-21 के अंतर्गत अनुच्छेद-370 तथा 371 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद-370 का संबंध जम्मू-कश्मीर से है जबकि अनुच्छेद-371 के विभिन्न खंडों में 10 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा) के लिये विशेष उपबंध दिये गए हैं। मूल संविधान में भाग-21 का शीर्षक 'अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध' (Temporary and Transitional Provisions) था। इसमें यह भाव निहित था कि ये उपबंध कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। बाद में, जब 1962 में नागालैंड को अनुच्छेद-371 के तहत विशेष दर्जा दिया जा रहा था, तब '13वें संशोधन, 1962' के द्वारा इसके शीर्षक में 'विशेष' शब्द भी जोड़ दिया गया था, ताकि इनमें से कुछ प्रावधानों के संबंध में यह स्पष्ट हो सके कि वे अस्थायी नहीं हैं। तब से इसका शीर्षक है- 'अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध' (Temporary, Transitional and Special Provisions)।

यद्यपि हमारा संविधान 29 में से 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है, किंतु यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जम्मू-कश्मीर तथा शेष राज्यों के दर्जों में व्यापक अंतर है। यद्यपि दोनों ही दर्जे स्वायत्तता से संबंधित हैं, पर वास्तविकता यही है कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता बाकी राज्यों की तुलना में अत्यंत व्यापक है।

नोट: केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया। जिसका निर्णय 31 अक्टूबर, 2019 को किया जाएगा।

21.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *(Historical Background)*

जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति का कारण उसके इतिहास में निहित है। भारत की आज़ादी के समय कश्मीर एक देशी रियासत थी जिस पर वंशानुगत महाराजा का शासन था। उस समय महाराजा हरि सिंह जम्मू-कश्मीर के शासक थे। जब ब्रिटिश संसद ने 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' (India Independence Act, 1947) पारित किया तो उसके साथ ही जम्मू-कश्मीर सहित सभी रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। अब देशी रियासतों को अधिकार था कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में विलय कर लें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। महाराजा हरि सिंह ने फैसला किया था कि वे भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की बजाय स्वतंत्र रहेंगे, किंतु 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान द्वारा समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जिससे अपने राज्य की सुरक्षा करना महाराजा हरि सिंह के लिये असंभव हो गया। इस जटिल परिस्थिति में उन्होंने तय किया कि वे भारत में विलय करेंगे। 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय-पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये जिसे अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकृति प्रदान कर दी। विलय-पत्र के अनुसार जम्मू-कश्मीर ने तीन विषयों पर भारतीय संघ की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया जबकि शेष मामलों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। ये 3 विषय थे- प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार।

जब महाराजा हरि सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे तो प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाएगी तथा निर्धारित करेगी कि जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संघ का अधिकार कितना तथा कैसा हो? जब तक संविधान सभा इन विषयों पर निर्णय नहीं कर लेगी, तब तक भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था कर सकेगा। अंतरिम व्यवस्था से संबंधित इसी आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिये संविधान में अनुच्छेद-370 शामिल किया गया।

अध्याय
22

कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध (Special Provisions for Some States)

22.1 महाराष्ट्र व गुजरात
22.2 नागालैंड
22.3 असम
22.4 मणिपुर
22.5 आंध्र प्रदेश
22.6 सिक्किम
22.7 मिज़ोरम
22.8 अरुणाचल प्रदेश
22.9 गोवा

जम्मू-कश्मीर भारत का अकेला राज्य नहीं है जिसके लिये हमारा संविधान विशेष व्यवस्थाएँ करता है। कुछ और राज्य भी ऐसे हैं जिनकी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विशिष्टताओं के कारण उनके लिये संविधान में विशेष उपबंध किये गए हैं। ये उपबंध संविधान के भाग-21 के अंतर्गत अनुच्छेद-371 के विभिन्न खंडों में दिये गए हैं। वर्तमान में, ऐसी विशेष व्यवस्था 10 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा) के लिये लागू हैं।

गौरतलब है कि मूल संविधान में ये विशेष उपबंध नहीं थे। आगे चलकर, राज्यों के पुनर्गठन के समय तथा कुछ अन्य स्थितियों में इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों तथा जनता की लोकप्रिय मांगों को देखते हुए इन्हें विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई। इनमें से कुछ राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये, कुछ में सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिये, तो कुछ को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये ये उपबंध किये गए हैं।

22.1 महाराष्ट्र व गुजरात *(Maharashtra & Gujarat)*

1956 के 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' में बंबई राज्य को महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में नहीं बाँटा गया था जबकि मराठी और गुजराती भाषियों ने पृथक् राज्यों के लिये भारी मांग की थी। ऐसे में, बंबई राज्य के विभिन्न हिस्सों के समान विकास को सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसे सुनिश्चित करने के लिये '7वें संविधान संशोधन, 1956' के माध्यम से राज्य पुनर्गठन के साथ-साथ अनुच्छेद-371 भी जोड़ा गया जो बंबई राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिये विशेष प्रावधान करता था।

अनुच्छेद-371 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह अपने आदेश द्वारा महाराष्ट्र या/और गुजरात राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित 'विशेष उत्तदायित्व' सौंप सकेगा-

- विदर्भ, मराठवाड़ा, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ तथा शेष गुजरात के लिये पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना करने तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि प्रत्येक बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य की विधानसभा में प्रतिवर्ष रखा जाए;
- समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करना कि ऊपर बताए गए क्षेत्रों के विकास संबंधी खर्चों के लिये धन का वितरण समतापूर्ण तरीके से हो;
- समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करना कि ऊपर बताए गए सभी क्षेत्रों में-
  - तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाओं का समतापूर्वक विकास हो; तथा
  - राज्य सरकार की सेवाओं में इन क्षेत्रों के निवासियों के लिये समान अवसरों को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था हो।

22.2 नागालैंड *(Nagaland)*

मूल संविधान तथा 1956 के राज्य पुनर्गठन में नागालैंड को पृथक् राज्य नहीं बनाया गया था, उसे असम राज्य में ही (छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र के रूप में) रखा गया था। आगे चलकर, संसद ने 'नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962' को

अध्याय
23

संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय
(Constitutional, Extra-constitutional, Statutory, Regulatory and Various Quasi-Judicial Bodies)

23.1 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
23.2 नीति आयोग
23.3 राष्ट्रीय विकास परिषद
23.4 वित्त आयोग
23.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
23.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
23.7 केंद्रीय सूचना आयोग
23.8 राज्य सूचना आयोग
23.9 केंद्रीय सतर्कता आयोग
23.10 संघ लोक सेवा आयोग
23.11 राज्य लोक सेवा आयोग
23.12 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
23.13 राज्य मानवाधिकार आयोग
23.14 मानवाधिकार न्यायालय
23.15 निर्वाचन आयोग
23.16 भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी
23.17 राष्ट्रीय महिला आयोग
23.18 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
23.19 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
23.20 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
23.21 दिव्यांग व्यक्तियों के लिये केंद्रीय आयुक्त
23.22 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
23.23 भारत का परिसीमन आयोग
23.34 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
23.35 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
23.36 प्रमाणक अधिकारियों का नियंत्रक
23.37 भारतीय चिकित्सा परिषद
23.38 केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण
23.39 नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
23.40 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण
23.41 पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण
23.42 भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
23.43 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड
23.44 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
23.45 दूरसंचार विवाद निस्तारण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण
23.46 विदेशी विनिमय हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण
23.47 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
23.48 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
23.49 नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ
23.50 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
23.51 आर्थिक सलाहकार परिषद
23.52 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
23.53 राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद
23.54 राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद
23.55 वृद्ध लोगों के लिये राष्ट्रीय परिषद
23.56 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596